UPET010038382026

<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 01, एटा।</u>

उपस्थितः मनीषा - 'एच०जे०एस०' (J.O. CODE UP6137)

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1073/2026</u>

रहीश उम्र करीव 35 साल पुत्र रशीद खां निवासी मौहल्ला शैखान कस्वा व थाना निधौलीकलां जनपद-एटा

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी

एस०टी० सं०- 353/2017
धारा-272 भा०द०सं० एवं
60 एक्साइज एक्ट,
मु०अ०स०- 298/2016,
थाना- निधौलीकलॉ, जिला- एटा

1. प्रार्थी रहीश पुत्र रशीद खां निवासी मौहल्ला शैखान कस्वा व थाना निधौलीकलां जनपद-एटा की ओर से जमानत आवेदन-पत्र मु०अ०स०- 298/2016, धारा- 272 भा०द०सं० एवं 60 एक्साइज एक्ट, थाना- निधौलीकलॉ, जिला- एटा के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता, एटा को सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. प्रार्थी द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बेगुनाह व निदोर्ष है उसे मुकददमा उपरोक्त में कारगुजारी दिखाने को झूठा फँसा दिया गया है। वारन्ट पर जेल जाने के वाद अभियुक्त प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मे न तो लम्बित है न निरस्त हुआ है। मुकददमा उपरोक्त वर्ष 2017 से विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त गरीव आदमी है जो वाहर रह कर मेहनत मजदूरी का परिवार का जीवन यापन करता है। प्रार्थी/अभियुक्त पीलिया रोग से पीडित हो जाने के कारण पिछली नियत दिनाक- 8-4-2026 को माननीय न्यायालय नही आ सका था इस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी किये गये। प्रार्थी/अभियुक्त स्वस्थ हो जाने पर घर वापिस आया और माननीय न्यायालय से

वारन्ट जारी होने की जानकारी होने पर प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं हाजिर होकर वारन्ट कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का वारन्ट रिकौल प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त जेल भेजा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने जान बूझकर माननीय न्यायालय हाजिर आने मे कोई चूक व गलती नहीं की गयी है बल्कि अस्वस्थ हो जाने के कारण हाजिर आने मे चूक हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त को साक्ष्य को प्रभावित किये जाने एवं किसी अन्य प्रकार से जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई आरोप नही है। भविष्य में प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक नियत दिनांक पर माननीय न्यायालय हाजिर आता रहेगा। प्रार्थी अभियुक्त पूर्व याफ्ता व अपराधिक चरित्र का व्यक्ति नही है। प्रार्थी/अभियुक्त उचित जमानत दाखिल करने को तैयार है तथा दौरान विचारण मुकददमा जमानत का दुरूपयोग नही करेगा तथा प्रत्येक नियत दिनांक पर माननीय न्यायालय हाजिर आता रहेगा। प्रार्थी दिनांक 01.06.2026 से एटा जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। नियत तिथि में उपस्थित रहने का कथन किया गया। प्रकरण के दृष्टिगत जमानत प्रार्थना पत्र द्वारा अभियुक्त रहीश स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मु०अ०स०- 298/2016, धारा- 272 भा०द०सं० एवं 60 एक्साइज एक्ट, थाना- निधौलीकलॉ, जिला- एटा में **रहीश पुत्र रशीद खां निवासी मौहल्ला शैखान कस्वा व थाना निधौलीकलां जनपद-एटा** को रूपये 50,000/- रूपये का एक प्रतिभू तथा व्यक्तिगत बंध पत्र निष्पादन करने पर निम्न शर्तों के आधीन रिहा किया जाता है-

1) प्रार्थी अभियुक्त अपने विगत एक वर्ष के उन सभी पते का विवरण दाखिल करे जिनपर वह निवासरत रहा है।

2) प्रार्थी अभियुक्त अपने वर्तमान पता व स्थायी पता का पूर्ण विवरण मय मकान संख्या के अंकित कर उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करे।

3) इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करे कि यदि वह अपने वर्तमान पते में कोई परिवर्तन करता है तो उसकी सूचना तत्काल न्यायालय को देगा।

4) साक्षी के न्यायालय में उपस्थित आने पर कोई स्थगन नहीं देगा तथा दारा 313 द०प्र०सं० की तिथि पर स्वंय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

5) प्रार्थी अभियुक्त प्रत्येक नियत दिनांक को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक: 08.06.2026

(मनीषा)

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 01,

एटा।